मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 14 /12/2021

क्र एफ 16-41/2021/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स भंडारी टॉलसन इंडिया प्रा.लि. इंदौर द्वारा ग्राम बलवाडी/पलासिया जिला धार में रू. 625.60 करोड के प्रस्तावित स्थाई पूंजी निवेश से दो चरणों में मशरूम, संबद्ध उत्पादों एवं अन्य खाद्य सप्लिमेंट्स के प्रसंस्करण तथा मशरूम कम्पोस्ट हेतु एकीकृत परियोजना स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर निम्नानुसार सुविधाएं दी जाती है:-

1. **भूमि आवंटन संबंधी रियायत** - परियोजना हेतु ग्राम बलवाडी एवं पलासिया, जिला धार में लगभग 120 हेक्टेयर अविकसित भूमि का आवंटन संबंधित क्षेत्र/ग्राम की निर्धारित कलेक्टर गाईडलाईन के 50% की दर से किया जाये। परियोजना अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि के अन्दर तथा निकट स्थित निजी भूमि जिनका अधिग्रहण प्रोजेक्ट स्थापना हेतु आवश्यक है, का अधिग्रहण विभाग द्वारा किया जाये। इस भूमि का आवंटन निर्धारित कलेक्टर गाईड लाईन के 50 प्रतिशत की दर से किया जाये।
2. **अधोसंरचना विकास सहायता**- उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2021) के प्रावधान अनुसार अधोसंरचना विकास सहायता शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये।
3. **निवेश प्रोत्साहन सहायता**- उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2021) में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता का लाभ शर्तों के अध्याधीन प्रदान किया जाये।
4. **विद्युत टैरिफ में रियायत** - इकाई द्वारा प्रथम चरण हेतु लिये गये नवीन तथा द्वितीय चरण हेतु विद्यमान विद्युत कनेक्शन अन्तर्गत लिये गये अतिरिक्त विद्युत भार पर प्रत्येक चरण अन्तर्गत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 05 वर्ष हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रू. 1/- प्रतियूनिट की छूट प्रदान की जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।
5. **विद्युत शुल्क में छूट** - इकाई द्वारा प्रथम चरण हेतु लिये गये नवीन तथा द्वितीय चरण हेतु विद्यमान विद्युत कनेक्शन अन्तर्गत लिये गये अतिरिक्त विद्युत भार पर प्रत्येक चरण अन्तर्गत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 10 वर्षों हेतु विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की जाये।
6. **स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति** - परियोजना अन्तर्गत आवंटित भूमि के पट्टाभिलेख के निष्पादन पर प्रभारित स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाये।
7. परियोजना को उद्योग सवंर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2021) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।

8. परियोजना को उपरोक्तानुसार स्वीकृत विशिष्ट सुविधाओं एवं उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2021) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ प्रथम चरण अन्तर्गत वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 एवं द्वितीय चरण अन्तर्गत वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 01 मई, 2026 तक प्रारंभ करने पर प्राप्त हो सकेगा।
9. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में प्रतिबद्ध निवेश के साथ निर्धारित समयावधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।
10. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 16-41/2021/ए-ग्यारह
भोपाल, दिनांक 14 /12/2021

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर।
4. कलेक्टर, जिला धार।
5. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स भंडारी टॉलसन इंडिया प्रा.लि., 101-103-A, Airen Heights 14, PU-3, Scheme No. 54 A.B. Road Indore-452010।

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग